

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग,

कार्यालय आदेश

उद्योग विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभिन्न योजना/गैर योजना मद में राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

1. रू0 5000/- (पाँच हजार) या अधिक रू0 20,00,000 (बीस लाख) तक की राशि की निकासी एन0 ई0 एफ0 टी0 (N.E.F.T)/आर0 टी0 जी0 एस0 (R.T.G.S) के माध्यम से की जाएगी।
2. यदि किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत चेक बैंक द्वारा बाउंस हो जाता है, तो संबंधित अधिकारी जिनके हस्ताक्षर से चेक निर्गत हुआ है, पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे।

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

प्रधान सचिव के आदेशानुसार।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-११७१

01/स0(विविध-सामान्य पत्रा0)-03/2013

पटना, दिनांक- 31/05/2017

प्रतिलिपि-निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक (सभी), जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर  
उद्योग विभाग बिहार  
पटना

अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।